न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– सुखराम खोखर
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
13 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020	13.01.2020	31.12.2020

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री विशम्भर दयाल गुप्ता निवासी शार्गीद पेशा नजर बाग रोड टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री अग्रवाल नमकीन एण्ड स्वीट्स बडा कुआ देवली रोड़ टोंक जिला टोंक
2. मैसर्स श्री अग्रवाल नमकीन एण्ड स्वीट्स बडा कुआ देवली रोड़ टोंक जिला टोंक राज.
3.श्री हनुमान सिंह पुत्र श्री लखन सिंह निवासी 40 बगरू रावां, चितरौली तह. सांगानेर, जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स श्री साईनाथ ट्रेंडिग कम्पनी ग्राम बगरू रावां पोस्ट अवानियां अजमेंर रोड जयपुर राज.
4.मैसर्स श्री साईनाथ ट्रेंडिग कम्पनी ग्राम बगरू रावां पोस्ट अवानियां अजमेंर रोड जयपुर राज.

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थीगण उपस्थित

:–**निर्णय**–: **दिनांक 31.12.2020**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.10.2019 को समय 1.05 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स श्री अग्रवाल नमकीन एण्ड स्वीट्स बडा कुआ देवली रोड़ टोंक जिला टोंक राज.पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री विशम्भर दयाल गुप्ता निवासी शार्गीद पेशा नजर बाग रोड टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री अग्रवाल नमकीन एण्ड स्वीट्स बडा कुआ देवली रोड़ टोंक जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण किये पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **सोनपपडी (ईलायची लखनोट)** जिसके बैच नं. [illegible] 0001व पैकिग की दिनांक 05.10. 2019 अंकित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर [illegible] की शंका होने पर. एफ.बी.ओ.

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:29:19 IST
Reason: SelfAttested

1175

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे कागज के कार्टून मे लगभग 30 मूल पैक पैक्ड अवस्था मे प्रत्येक 500–500 ग्राम पैक **सोनपपडी (ईलायची लखनोट)**रखे हुये मे से ज्यो का त्यो पैक्ड अवस्था मे 500–500 ग्राम पैक के 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल को रू0 320/–अक्षरे तीन सौ बीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **सोनपपडी (ईलायची लखनोट)** 4 मूल पैक 500–500 ग्राम पैक को ज्यो का त्यो एक–एक नग के बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग व चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2380 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2380 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल ने मौके पर **सोनपपडी (ईलायची लखनोट)** बतोर वारन्टी मैसर्स श्री साईनाथ ट्रेंडिग कम्पनी ग्राम बगरू रावां पोस्ट अवानियां अजमेंर रोड जयपुर राज. का बिल/इन्वॉइस नं. एसटीसी 19–20/0681 दिनांक 14.10.2019 की छायाप्रति प्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2019/2521 दिनांक 27.11.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/2580/एक्ट/2019/2417 दिनांक 18.11.2019 अनुसार सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **सोनपपडी (ईलायची लखनोट)** खाद्य सुरक्षा एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:29:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला ... टोंक

Scanned by CamScanner

मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (c) (i) अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **सोनपपडी (ईलायची लखनोट)**का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **सोनपपडी (ईलायची लखनोट)**का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप** (Mis-branded)स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सोनपपडी (ईलायची लखनोट)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप** (Mis-branded)स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री विशम्भर दयाल गुप्ता निवासी शार्गीद पेशा नजर बाग रोड टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री अग्रवाल नमकीन एण्ड स्वीट्स बडा कुआ देवली रोड़ टोंक जिला टोंक पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) अप्रार्थी श्री हनुमान सिंह पुत्र श्री लखन सिंह निवासी 40 बगरू रावां, चितरौली तह. सांगानेर, जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स श्री साईनाथ ट्रेंडिग कम्पनी ग्राम बगरू रावां पोस्ट अवानियां अजमेंर रोड जयपुर राज.पर शास्ति 30,000 (अक्षरे तीस हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 31.12.2020 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

(मुहर: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक)

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:29:19 IST
Reason: SelfAttested

1177

Scanned by CamScanner